

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय 1: अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन	1.3	4
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.4	11
लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण के पश्चात घाटा	1.5	15
कुल देनदारियाँ	1.6	16
अध्याय 2: राज्य का वित्त		
वर्ष 2020-21 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	18
राज्य के संसाधन	2.3	18
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	19
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	29
संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	30
संसाधनों के अनुप्रयोग	2.4	30
राजस्व व्यय	2.4.1	32
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2	34
पूँजीगत व्यय	2.4.3	39
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.4	41
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	2.4.5	43
अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2.4.6	44
लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूँजीगत व्यय	2.4.7	45
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता	2.4.8	46
व्यय की प्राथमिकता	2.4.9	46
वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय	2.4.10	47
लोक लेखा	2.5	48
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	48

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
ब्याज सहित रक्षित निधि	2.5.2	49
ब्याज रहित रक्षित निधि	2.5.3	51
लोक दायित्व प्रबंधन	2.5.4	54
ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और पुनर्भुगतान	2.6	57
राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता	2.6.1	59
उधार निधि की उपयोगिता	2.6.2	63
प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएं)	2.6.3	64
नकद शेष का प्रबंधन	2.7	64
निष्कर्ष	2.8	67
अनुशंसाएँ	2.9	68
अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन		
बजटीय प्रक्रिया	3.1	69
विनियोग लेखे	3.2	73
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.3	80
व्यय का वेग	3.4	83
अनुदान संख्या 01-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.5	84
अनुदान संख्या 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.6	95
निष्कर्ष	3.7	102
अनुशंसाएँ	3.8	102
अध्याय 4: लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार		
गैर-बजट उधार	4.1	103
राज्य कार्यन्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि	4.2	103
स्थानीय निकाय निधि जमा	4.3	105
उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	4.4	105
अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	4.5	107
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र	4.6	109
डीसी विपत्रों का अप्रस्तुतिकरण	4.7	111
डीसी विपत्रों का विलंब से प्रस्तुतिकरण	4.8	113
वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्रों का आहरण	4.9	114
स्थानीय निधियों की जमा	4.10	114
व्यक्तिगत जमा खाता	4.11	116
लघुशीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.12	116

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
जमा, प्रेषण, उचंत तथा ऋण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.13	117
विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन	4.14	118
नकद शेष का समाशोधन	4.15	119
लेखा मानकों का अनुपालन	4.16	120
स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	4.17	120
निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण	4.18	122
दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि	4.19	123
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.20	123
निष्कर्ष	4.21	124
अनुशंसाएँ	4.22	124
अध्याय 5: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम		
परिचय	5.1	125
अधिदेश	5.2	125
इस अध्याय में क्या शामिल है	5.3	126
एसपीएसई और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में उनका योगदान	5.4	126
एसपीएसई में निवेश और बजटीय सहायता	5.5	127
एसपीएसई से प्रतिफल	5.6	128
ऋण भुगतान	5.7	130
एसपीएसई का वित्तीय प्रदर्शन	5.8	131
एसपीएसई जिसे घाटा हो रहा है	5.9	134
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.10	137
सीएजी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.11	137
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा खाते प्रस्तुत करना	5.12	137
सीएजी का निरीक्षण-खातों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13	139
सीएजी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम	5.14	140
निष्कर्ष	5.15	140
अनुशंसाएँ	5.16	141

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड का परिचय	143
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	144
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	144
परिशिष्ट 2.1	वर्ष 2022-23 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	145
परिशिष्ट 2.2	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	148
परिशिष्ट 2.3	31.03.2023 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	152
परिशिष्ट 3.1	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	153
परिशिष्ट 3.2	अनावश्यक पुनर्विनियोग	155
परिशिष्ट 3.3	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)	156
परिशिष्ट 3.4	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)	158
परिशिष्ट 3.5	मार्च 2023 महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि	159
परिशिष्ट 3.6	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का अपेक्षित विनियमन	161
परिशिष्ट 3.7	योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	162
परिशिष्ट 3.8	व्यय का वेग	169
परिशिष्ट 3.9	परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	170
परिशिष्ट 3.10	सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण	171
परिशिष्ट 3.11	नमूना जाँच जिलों में सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण	172
परिशिष्ट 3.12	वित्तीय वर्ष के अंत में राशि का अभ्यर्पण	173
परिशिष्ट 3.13	व्यय का वेग	174
परिशिष्ट 3.14	बैंक खातों में जमा राशि	176
परिशिष्ट 3.15	लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होना	178
परिशिष्ट 3.16	अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	180
परिशिष्ट 3.17	व्यय का वेग	181

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 3.18	निधि का अनुपयोग	182
परिशिष्ट 3.19	शौचालय निर्माण का लक्ष्य तथा उपलब्धि	184
परिशिष्ट 4.1	डी. सी. विपत्र का अप्रस्तुतिकरण	185
परिशिष्ट 4.2	डी. सी. विपत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब	187
परिशिष्ट 4.3	चालान/चेक के माध्यम से निधि का प्रेषण	190
परिशिष्ट 4.4	वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्र का आहरण	191
परिशिष्ट 4.5	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	194
परिशिष्ट 5.1	सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची, जिनके पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में से किसी एक के खाते 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त हुए हैं	197
परिशिष्ट 5.2	कार्यात्मक पीएसयू जिनके खातों में तीन वर्ष से अधिक का बकाया है/पहले खाते प्राप्त नहीं हुए हैं/देय नहीं हैं	198
परिशिष्ट 5.3	राज्य सरकार के निवेश का निवल वर्तमान मूल्य	199
प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द		200

